

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का. आ. 4592(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 30 मार्च 2022 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1501(अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा आदेश सं 1501(अ), दिनांक 30 मार्च 2022 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

| क्र.सं | विनिर्माताओं का नाम |
|--------|---|
| (1) | (2) |
| 16. | मेसर्स प्यूर्तो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 17. | मेसर्स सचिन पैरेंटेरल प्रा. लिमिटेड ("ब्रांड नाम "सेफ पोर्ट") |

2. दिनांक 30 मार्च 2022 के का. आ. 1501(अ) की तालिका क में क्र. सं. 3 विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 16 और 17 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।

3. मूल आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 के का. आ. 1501(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क), (ख)ए (ग) और (ड.) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 16 और 17 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पी.एन./234/102/2022/एफ./फा. सं. 8(102)/2022/डीपी/एनपीपीए-डीवी-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4592(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1501(E) dated 30th March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Ringer lactate injection in pack having special features is hereby extended for following manufacturers with the insertion of the Sl. No. and Name of Manufacturers, specified in column no. (1) and (2) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1501(E) dated 30th March 2022, as detailed below:

| Sl. No. | Name of Manufacturer |
|---------|--|
| (1) | (2) |
| 16. | M/s Puerto life Sciences Private Limited |
| 17. | M/s Sachin Parenteral Pvt. Ltd. (Brand name "SAFE PORT") |

2. The ceiling prices specified in Sl. 3 of Table A of S.O. 1501(E) dated 30th March 2022 are applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 16 & 17 above from the date of publication of this Order.

3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1501(E) dated 30th March, 2022 shall remain same and are applicable except that note (a), (b), (c) and (e) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 16 & 17 above.

[PN/234/102/2022/F/F. No. 8(102)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]
PRASENJIT DAS, Dy. Director**आदेश**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का. आ. 4593(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 30 मार्च 2022 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के का. आ. 1504(अ), जोकि निर्धारित फॉर्म्युलेशन और डोज़ फॉर्म और निर्दिष्ट प्रबलता के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा का. आ. 1504(अ), दिनांक 30 मार्च 2022 के तालिका, 'ख' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: